मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/ई-अनुज्ञा/521/ 437 भोपाल दिनांक 18 /09/2024

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - __________ (समस्त)।

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति - __________ (समस्त)।

विषय - Third Party अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ - परिपत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/ई-अनुज्ञा/521/1827-1828, दिनांक 06/05/2019

Third Party अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में संदर्भित परिपत्र क्रमांक 1827 दिनांक 06/05/2019 (छायाप्रति संलग्न) दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED) के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) अंतर्गत विक्रय या राज्य शासन की नीति / निर्देशों के अनुसार अन्य प्रकार से विक्रय, के लिए, **Third Party अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया में निम्नानुसार शिथिलता दी जाती है-**

1. MARKFED (First Party) द्वारा उक्तानुसार विक्रय, राज्य के बाहर की किसी फर्म / व्यक्ति को किए जाने की स्थिति में, Second Party व Third Party के राज्य के बाहर होने पर भी Third Party अनुज्ञा पत्र जारी हो सकेंगे।

2. Second Party के द्वारा अपने मूल पते के स्थान के अतिरिक्त अपने (Second Party के) ही किसी अन्य पते वाले स्थान (राज्य के बाहर अन्य किसी भी स्थान पर) के लिए Third Party अनुज्ञा पत्र जारी हो सकेंगे।

3. Second Party के द्वारा अन्य किसी (Third Party) को विक्रय किए जाने की स्थिति में Third Party (राज्य के बाहर का होना अनिवार्य) के पते वाले स्थान पर Third

Party अनुज्ञा जारी हो सकेंगे।

4. **परिपत्र दिनांक 06/05/2019 अनुसार, Third Party का राज्य के भीतर का होने पर ही Third Party अनुज्ञा पत्र जारी नहीं होने का प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेगा।**

5. MARKFED को उपलब्ध कराए गए ई-अनुज्ञा पोर्टल के Credentials का उपयोग करते हुए स्वयं Third Party अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एम. सेलवेंद्रन)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/ई-अनुज्ञा/521/438 भोपाल दिनांक 18 /09/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED)।
3. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। उक्त अनुसार ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किए जाने हेतु प्रेषित।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/521/1817

भोपाल, दिनाँक 06.05.2019

परिपत्र

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी–6/नियमन/उपविधि संशो./214/1933, भोपाल दिनाँक 13.12.2017 से मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन 2000 में संशोधन स्थापित कर **गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) के नाम से अनुज्ञा पत्र** जारी करने का प्रावधान किया गया है ।

उक्तानुसार जारी किये जाने वाले थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्रों के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है –

1. अनुज्ञा पत्र, केवल अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से फॉर्म 10 में घोषणा प्राप्त किया जाकर जारी किये जा सकते है। इसीलिए थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के लिए भी अनिवार्यतः यह आवश्यक है कि **विक्रेता व्यापारी और प्राथमिक क्रेता व्यापारी (जिसके लिए थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी किया जा रहा है), दोनों को राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारी होना चाहिए।**

2. गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी), राज्य के अंदर या राज्य के बाहर निवासरत/व्यवसायरत हो सकता है।

3. थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र निम्न परिस्थितियों में जारी किये जा सकेंगे –

राज्य में उपयोग हेतु अनुज्ञा पत्र (थर्ड पार्टी) –

- इस प्रकार के अनुज्ञा पत्रों को जारी किये जाने हेतु, विक्रेता व्यापारी, प्राथमिक क्रेता **व्यापारी और गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) तीनों को मध्यप्रदेश राज्य में निवासरत/व्यवसायरत होकर, राज्य की किसी मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी होना अनिवार्य आवश्यकता** है ।

- यदि गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) इस अनुज्ञा पत्र के आधार पर नियमानुसार मण्डी फीस से छूट प्राप्त कर सकेगा ।

राज्य के बाहर उपयोग हेतु अनुज्ञा पत्र (थर्ड पार्टी) –

- इस प्रकार के अनुज्ञा पत्रों को जारी किये जाने हेतु, विक्रेता व्यापारी और प्राथमिक **क्रेता व्यापारी दोनों को मध्यप्रदेश राज्य में** निवासरत/व्यवसायरत होना अनिवार्य **आवश्यकता** है ।

- इस स्थिति में गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) अनिवार्यतः राज्य के बाहर निवासरत/व्यावसायरत होगा । अतः गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) का राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारी होना अनिवार्य नहीं है ।

* यह अनुज्ञा पत्र राज्य के बाहर परिवहन किये जाने पर अंतर्राज्यीय जांच चौकी पर जमा कराये जायेंगे ।

4. उक्तानुसार **प्राथमिक क्रेता व्यापारी किसी भी स्थिति में गैर अनुज्ञप्तिधारी अथवा/एवं मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवासरत/व्यावसायरत नहीं होगा ।**
प्राथमिक क्रेता व्यापारी कें गैर अनुज्ञप्तिधारी अथवा/एवं मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवासरत/व्यावसायरत होने पर थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी नही हो सकेगा।

5. प्राथमिक क्रेता व्यापारी और गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) (यदि वह राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारी है) के द्वारा, अपने पाक्षिक विवरणियों में उक्तानुसार थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र के आधार पर क्रय/विक्रय/परिवहित की गई अधिसूचित कृषि उपज का अनिवार्यतः उल्लेख किया जावेगा ।।

6. थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/521/1828 भोपाल, दिनाँक 06.05.2019

प्रतिलिपि –

1. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ चीफ प्रोग्रामर, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय – समस्त ।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति – समस्त ।
4. आदेश नस्ती ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल